



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30102024-258376
CG-DL-E-30102024-258376

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4383]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 29, 2024/कार्तिक 7, 1946

No. 4383]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 29, 2024/KARTIKA 7, 1946

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अक्टूबर, 2024

का.आ. 4760(अ).—केन्द्रीय सरकार अपतट क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2002 (2003 का 17) की धारा 16 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

2. अपतटीय क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2002 की प्रथम अनुसूची में,—

(i) मद संख्या 1 में, "विक्रय कीमत" शब्दों के स्थान पर, "औसत विक्रय कीमत" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) मद 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

“1क.	निर्माण रेत	चालीस रूपये प्रति टन।”;
------	-------------	-------------------------

(iii) मद 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

“2.	डोलोमाइट	पचास रूपये प्रति टन।”;
-----	----------	------------------------

(iv) मद 3 में “विक्रय कीमत” शब्दों के स्थान पर “औसत विक्रय कीमत” शब्द रखे जाएंगे;

(v) मद संख्या 5 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी;

“5.	चूनापत्थर और चूना मिट्टी	पचास रूपये प्रति टन।”;
-----	--------------------------	------------------------

- (vi) मद संख्या 6 में, "विक्रय कीमत" शब्दों के स्थान पर "औसत विक्रय कीमत" शब्द रखे जाएँगे;
- (vii) मद 7 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित मद और प्रविष्टियाँ अंतःस्थापित की जाएँगी, अर्थात्:—
- | | | |
|------|-----------------------------------|---|
| “7क. | पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स और क्रस्ट्स | मूल्यानुसार औसत विक्रय कीमत का तीन प्रतिशत।”; |
|------|-----------------------------------|---|
- (viii) मद संख्या 8 में, "विक्रय कीमत" शब्दों के स्थान पर "औसत विक्रय कीमत" शब्द रखे जाएँगे;
- (ix) मद संख्या 9 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित मद और प्रविष्टियाँ अंतःस्थापित की जाएँगी, अर्थात्:—

“9क.	अधिभार या अपशिष्ट	दस रूपये प्रति टन।”;
------	-------------------	----------------------

(x) मद संख्या 10 में, "विक्रय कीमत" शब्दों के स्थान पर "औसत विक्रय कीमत" शब्द रखे जाएँगे।

[फा. सं. एम. VI-1/7/2024-खान VI]

संजय लोहिया, अपर सचिव

MINISTRY OF MINES

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th October, 2024

S.O. 4760(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 16 of the Offshore Areas Mineral (Development and Regulation) Act, 2002 (17 of 2003), the Central Government hereby makes the following amendments in the First Schedule to the said Act, namely:—

2. In the First Schedule to the Offshore Areas Mineral (Development and Regulation) Act, 2002,—

(i) in item 1, for the words “sale price”, the words “average sale price” shall be substituted;

(ii) after item 1 and the entries relating thereto, the following item and entries shall be inserted, namely:—

“1A.	Construction Sand	Forty rupees per tonne.”;
------	-------------------	---------------------------

(iii) for item 2 and the entries relating thereto, the following item and entries shall be substituted, namely:—

“2.	Dolomite	Fifty rupee per tonne.”;
-----	----------	--------------------------

(iv) in item 3, for the words “sale price”, the words “average sale price” shall be substituted;

(v) for item 5 and the entries relating thereto, the following item and entries shall be substituted, namely:—

“5.	Limestone and Lime mud	Fifty rupee per tonne.”;
-----	------------------------	--------------------------

(vi) in item 6, for the words “sale price”, the words “average sale price” shall be substituted;

(vii) after item 7 and the entries relating thereto, the following item and entries shall be inserted, namely:—

“7A.	Polymetallic Nodules and Crusts	Three per cent. of the average sale price on <i>ad valorem</i> basis.”;
------	---------------------------------	---

(viii) in item 8, for the words “sale price”, the words “average sale price” shall be substituted;

(ix) after item 9 and the entries relating thereto, the following item and entries shall be inserted, namely:—

“9A.	Overburden or waste	Ten rupees per tonne.”;
------	---------------------	-------------------------

(x) in item 10, for the words “sale price”, the words “average sale price” shall be substituted.

[F. No. M.VI-1/7/2024-Mines VI]

SANJAY LOHIYA, Addl. Secy.